



**The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments)
(Amendment) Act, 2013**

Act 19 of 2013

Keyword(s):

Depositor, Designated Court, Finance, Investment Schemes

Amendment amend: 7 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 662) पटना, शुक्रवार, 16 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

16 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-22/2013/लेज:163—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 अगस्त, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 19, 2013]

बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम, 18, 2002) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ 1-(1) यह अधिनियम बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम- 18, 2002 की धारा- 2 में संशोधन 1-- (1) उक्त अधिनियम में, धारा-2 की उप-धारा (क) एवं (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

“(क) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी पदाधिकारी अथवा जिला समाहर्ता अथवा जिला का कोई पदाधिकारी जो अपर समाहर्ता अथवा समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(ख) “अभिहित न्यायालय” से अभिप्रेत है धारा- 7 के अधीन गठित अभिहित न्यायालय।”

(2) उक्त अधिनियम की धारा-2 की उप-धारा (घ) के बाद निम्नलिखित एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :-

“स्पष्टीकरण - इसमें वैसा व्यवसाय यथा, अचल संपत्ति, वृक्षारोपण, पर्यटन और यात्रा, पशुपालन, होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन पार्क, उसके किसी भी कीमती सामान या सेवा या उपहार की आपूर्ति आदि, जिसमें प्रच्छन्न रूप में धनराशि जमा लिया जाता है, भी शामिल होगा ।”

3. बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा- 2 के बाद एक नई धारा- 2क का अन्तःस्थापन 1-- उक्त अधिनियम की धारा-2 के बाद निम्नलिखित नई धारा-2क अन्तःस्थापित की जाएगी :-

“2क.- **आज्ञापक सूचना, सूचना मांगने की शक्ति तथा गैर अनुपालन के लिए सजा :** (1) बिहार राज्य या उसके किसी हिस्से में कार्यालय स्थापित करने एवं कार्य का परिचालन करने हेतु आशयित कोई वित्तीय स्थापना अपने क्रिया-कलापों, कार्य क्षेत्रों एवं/या व्यवसाय की, सभी आवश्यक कागज-पत्रों के साथ विस्तृत जानकारी लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी को देगा । इस जानकारी में संबंधित राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इसका रजिस्ट्रीकरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या उपर्युक्त प्रयोजनार्थ किसी अन्य विनियामक प्राधिकार से प्राप्त अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण के बारे में ब्योरे के साथ इसके कार्यालय संरचना और विनिर्दिष्ट स्थान/पता भी सम्मिलित होगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले से परिचालित वित्तीय स्थापना इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर जिला समाहर्ता/सक्षम प्राधिकारी को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा ।”

(2) सक्षम प्राधिकारी को, वित्तीय स्थापना या उसके पदधारी जिसमें उसके प्रवर्तक, निदेशक, भागीदार या प्रबंधक या ऐसी वित्तीय स्थापना के सदस्य शामिल हैं, से जानकारी की मांग करने या अपेक्षा करने या यथापेक्षित ऐसी जानकारी देने हेतु सरकार के किसी कार्यालय या प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को निदेश देने की शक्ति होगी और ऐसी वित्तीय स्थापना या उसके पदधारी या प्रवर्तक, निदेशक, भागीदार या प्रबंधक या ऐसी वित्तीय स्थापना के सदस्य या सरकार का पदाधिकारी या प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति तुरन्त उस जानकारी को सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(3) धारा-2क की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को अपेक्षित जानकारी देने में विफल होने अथवा गलत या भ्रामक बयान देने या धारा-3क के अधीन यथापेक्षित अभिलेख/दस्तावेज आदि का उपस्थापन अथवा निरीक्षण की अनुमति देने से इंकार करने की स्थिति में जिला के समाहर्ता, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वित्तीय स्थापना, कारबार का संचालन कर रहा है, संतुष्ट होकर, विधि के अनुसार, वित्तीय स्थापना को उचित अवसर देने के बाद, ऐसी हरेक चूक के लिए 100000/- (एक लाख) रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा ।

4. बिहार अधिनियम- 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन 1-- उक्त अधिनियम में धारा-3 के विद्यमान उपबंध को उप-धारा (1) के रूप में पढ़ा जाएगा एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (2) जोड़ी जाएगी :-

“(2) अपनी अधिकारिता के अधीन पुलिस उपाधीक्षक या उसके समकक्ष से नीचे की पंक्ति का कोई पुलिस पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच नहीं करेगा;

परन्तु पुलिस निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी भी यदि इस निमित्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तो वह, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी ऐसे अपराध का अनुसंधान कर सकेगा अथवा उसके लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगा” ।

5. बिहार अधिनियम- 18, 2002 की धारा-3 के बाद नई धारा-3क एवं 3ख का अन्तःस्थापन 1- उक्त अधिनियम की धारा-3 के बाद निम्नलिखित नई धारा-3क एवं 3ख अन्तःस्थापित की जाएगी --

“3क- परिसर में प्रवेश करने तथा कतिपय दस्तावेजों का निरीक्षण करने की शक्ति--(1) सक्षम प्राधिकारी या उसके अधीन अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति का कोई अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी परिसर, जहाँ कोई रजिस्टर, किताब, अभिलेख, कागज-पत्र, आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और पुनर्प्राप्ति डिवाइस या माध्यम से सूचना, लिखत या कार्यवाही रखा गया हो, में प्रवेश कर सकेगा तथा निरीक्षण कर सकेगा तथा उन्हें निरीक्षण करने के बाद ऐसी टिप्पणियाँ और उद्धरण ले सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(2) हरेक व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में या अनुरक्षण में इस तरह का रजिस्टर, किताब, अभिलेख, कागज-पत्र, आवेदन, लिखत या कार्यवाही हो, यथोचित समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के समक्ष उपस्थापित करेगा या निरीक्षण करने या उसका नोट और उद्धरण, जैसा आवश्यक समझे, लेने के लिए अनुमति देगा और यदि आवश्यक हो तो वह उन्हें अभिगृहीत और परिरूद्ध (इम्पाउन्ड) करेगा :

परन्तु उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत सर्व वारंट के प्राधिकार के सिवाय आवासीय परिसर (जो कारबार-सह-आवास स्थल न हो) में कोई भी प्रवेश तथा तलाशी नहीं की जाएगी तथा, जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन सभी तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

3ख- तलाशी, अभिग्रहण, संपत्ति की जब्ती तथा उसका प्रबंधन :- (1) जहाँ सक्षम प्राधिकारी को जानकारी होने पर तथा ऐसी जांच-पड़ताल के बाद जिसे वह ठीक तथा आवश्यक समझे, विश्वास करने का कारण हो कि किसी वित्तीय स्थापना के कारबार अथवा कार्यों को संचालित करने अथवा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार किसी वित्तीय स्थापना या प्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्य, कर्मचारी या प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति -

(क) ने ऐसा कार्य किया है जो धारा-3 की उप-धारा (1) के अधीन एक अपराध है; अथवा

(ख) धारा-3 की उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध में अंतर्ग्रस्त कोई सामग्री उसके कब्जे में है; अथवा

(ग) धारा-3(1) के अधीन किसी अपराध से संबद्ध कोई अभिलेख उसके कब्जे में है; अथवा

(घ) धारा-3 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कार्यालय से संबद्ध कोई भी संपत्ति उसके कब्जे में है, ऐसा सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्याधीन, किसी भी पदाधिकारी को --

(i) किसी भी भवन, जगह, जलयान, वाहन या विमान में ऐसी सहायता के साथ जो आवश्यक हो के साथ प्रवेश और तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जहाँ उसे संदेह करने का कारण हो कि उसमें अपराध का किसी तरह का अभिलेख या आगम रखा गया हो;

(ii) कोई दरवाजा, बॉक्स, लौकर, सेफ, ऑलमारी आदि का ताला तोड़ने/खोलने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(iii) जहाँ ऐसे पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी तलाशी में पायी गयी संपत्ति छुपायी, अंतरित अथवा इस रीति से निपटायी जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप वह संपत्ति व्यनित हो जाएगी तो वह उस संपत्ति के अभिलेख की जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा;

(iv) ऐसे अभिलेखों पर पहचान का निशान लगाने या उसका उद्धरण या प्रतियाँ करने या करवाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(v) ऐसे अभिलेखों या संपत्ति की एक सूची अथवा विवरण तैयार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(vi) किसी व्यक्ति की, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई अभिलेख या संपत्ति पायी जाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसंधान के प्रयोजनार्थ सुसंगत सभी या किसी विषय की बाबत शपथ पर जाँच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2). जहाँ किसी वित्तीय स्थापना या उसके प्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्य, कर्मचारी या प्रबंधन के जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति या इस तरह के वित्तीय स्थापना के कारबार या मामलों का संचालन करने के अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण व्यावहारिक नहीं हो, वहाँ उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी इसे सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदित करेगा, जो ऐसी रीति से जो विहित किया जाय, ऐसी संपत्ति पर रोक लगाने के संबंध में एक आदेश पारित कर सकेगा जिसके पश्चात् ऐसा आदेश करनेवाले पदाधिकारी की पूर्वानुमति के सिवाय संपत्ति का अंतरण अथवा अन्यथा निपटारा नहीं किया जायेगा और आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तामील कर दी जाएगी।

(3). जहाँ सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के अधीन आदेश देता हो तो वह, यथास्थिति, उप-धारा (1) या (2) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अभिहित न्यायालय में उन आधारों का कथन करते हुए, जिनपर सक्षम प्राधिकारी ने उस उप-धारा के अधीन ऐसा आदेश पारित किया है, एक शपथ पत्र के साथ आवेदन करेगा तथा अभिहित न्यायालय, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, वित्तीय स्थापना की अभिगृहीत अथवा रोक दी गई संपत्ति अथवा हरेक व्यक्ति, जिसके अंतर्गत प्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्य, कर्मचारी अथवा धारा 4 में यथा उल्लिखित रीति से, ऐसी वित्तीय स्थापना के कारबार अथवा मामलों का संचालन या प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति हो, की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित करेगा।

(4). जहाँ उप-धारा (3) के अधीन किसी वित्तीय स्थापना की अभिगृहीत अथवा रोक दी गई संपत्ति अथवा हरेक व्यक्ति की जिसके अधीन प्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्य, कर्मचारी या ऐसी वित्तीय स्थापना के कारबार या मामलों का संचालन या प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति हो, संपत्ति जब्त करने का आदेश पारित किया गया हो तो सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त ऐसी संपत्ति के सभी अधिकार एवं हक सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जायेंगे।

(5). सक्षम प्राधिकारी, उतनी संख्या में, जैसा उचित समझे, पदाधिकारियों की नियुक्ति, लिखित रूप में, प्रशासक का कार्य करने हेतु कर सकेगा।

(6). उप-धारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक संपत्ति को प्राप्त करेगा तथा उसका प्रबंधन उस रीति तथा उन शर्तों के अधीन करेगा जो विहित की जाय।

(7). जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित संपत्ति के निपटारा हेतु प्रशासक, ऐसे उपाय, ऐसी रीति से करेगा जो विहित की जाय।”

6. बिहार अधिनियम- 18, 2002 की धारा-5 में संशोधन।-- उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) एवं (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

“(1) सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना की धारा-4 के अधीन सरकार के आदेश द्वारा कुर्क धन एवं संपत्ति पर नियंत्रण करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, अबिलम्ब ऐसी सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो संबंधित वित्तीय स्थापना के सभी धन एवं आस्तियों को भौतिक कब्जा में लेने के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो और सक्षम प्राधिकारी को सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।”

7. बिहार अधिनियम- 18, 2002 की धारा-6 में संशोधन।-- उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

“(1) सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना की आस्तियों और जमा दायित्वों का निर्धारण करेगा और उसका विवरण धारा-4(1) के अधीन आदेश होने के 30 दिनों के भीतर अभिहित न्यायालय को भेज देगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

16 अगस्त 2013

सं० एल०जी०-1-22/2013/164/लेजः।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमत बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके

द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

**The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments)
(Amendment) Act, 2013
[Bihar Act 19, 2013]
AN
ACT**

**TO AMEND THE BIHAR PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS
(IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 2002 [BIHAR ACT, 18 OF 2002]**

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-fourth year of the Republic of India follows :-

1. Short Title, extent and Commencement -- (1) This Act may be called the Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments) (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in section 2 of the Bihar Act, 18 of 2002 -- (1) In the said Act sub-section (a) and (b) of section- 2 shall be substituted by the following :-

"(a) "Competent Authority" means any officer notified by the State Government or the Collector of the district or any officer, not below the rank of Additional Collector or equivalent in the district.

(b) "Designated Court" means the Designated Court Constituted under section 7;"

(2) The following Explanation shall be added after sub-section (d) of section 2 of the said Act :-

Explanation - "It shall also include deposit taking business in disguised form like the business of real-estate, plantation, tours and travels, cattle rearing, hotels, resorts , amusement parks, supply of any valuable goods or service or gift thereof etc."

3. Insertion of new section 2A after section 2 of the Bihar Act, 18 of 2002- the following new section 2A shall be inserted, after section 2 of the said Act :-

"2A Mandatory Intimation, Power to call for information and punishment for non compliance- (1) Any Financial Establishment intending to establish an office and operate in the State of Bihar or any part thereof shall furnish information in writing to the Competent Authority about the details of its activities, areas of operation and/or business, supported by all necessary papers. This information shall also include its registration by the Registrar of Companies of the State Concerned as also about the registration and the license obtained from the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other regulatory authority for the purpose aforesaid with details of its office structure and specific location/address :

Provided that the Financial Establishment operating before the commencement of this Act shall furnish the requisite information to the Collector of the district/Competent Authority within 30 days of the commencement of this Act.

(2) The Competent Authority shall have the power to call for or require any information about the Financial Establishment or its office bearers including the promoter, director, partner or manager or members of such Financial Establishment or direct any office or authority of the Government or a local authority or any other person,

to furnish such information as may be required, and such Financial Establishment or its office bearer or promoter, director, partner or manager or members of such Financial Establishment or officer or authority of the Government or local authority or any other person, shall forth with furnish such information to the Competent Authority.

(3) Failure to furnish the requisite information to the Competent Authority as under sub-section (1) of section 2A or furnishing wrong or misleading statement, or refuse to produce or to permit inspection of records/documents etc, as required under section 3A, the Collector of the District under whose local jurisdiction the Financial Establishment conducting its business operation, if satisfied, may after giving reasonable opportunity to the Financial Establishment in accordance with law, impose a fine of up to Rs. 100000/- (Rupee one Lakh) for every such default. "

4. Amendment in section 3 of the Bihar Act, 18 of 2002 -- In the said Act, the existing provision of section 3 will be read as sub-section (1) after that,

The following new sub-section (2) shall be added, after sub-section (1) of section 3 of the said Act :-

"(2) No police official below the rank of Deputy Superintendent of police or equivalent, having jurisdiction, shall investigate an offence under this Act :

Provided that if a police officer not below the rank of an Inspector of police is authorized by the State Government in this behalf by general or special order, he may also investigate any such offence without the order of Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class, as the case may be, or make arrest thereof without warrant.

5. Insertion of new section 3A and section 3B after section 3 of the Bihar Act, 18 of 2002-- The following new section 3A and 3B shall be inserted, after section 3 of the said Act :-

"3A Power to enter premises and inspect certain documents - (1) The Competent Authority or any other authority not below the rank of the Sub divisional - Officer under him, for the furtherance of the purposes of this Act may enter and inspect any premises, where any register, book, record, paper, application, information in electronic storage and retrieval device or medium, instrument or proceedings are kept and to inspect them and to take such notes and extracts as it may deem necessary.

(2) Every person having in his custody or maintaining such register, book, record, paper, application, instrument or proceedings shall at all reasonable times produce or permit the Competent Authority or any other authority authorized by the Competent Authority to inspect them to take notes and extracts as it may deem necessary and if necessary seize and impound them :

Provided that no residential accommodation (not being a place of business cum residence) shall be so entered into and searched except on the authority of a search warrant issued by a Magistrate having jurisdiction over the area, and all searches under this section shall, so far as may be, be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.

3B Search, Seizure and confiscation of property and its management - (1) where the Competent Authority, upon information and after such enquiry as he thinks fit and necessary, has reason to believe that any financial establishment or the promoter, partner, director, manager, member, employee or any other person responsible for the management of, or for conducting the business or affairs of such financial establishment—

(a) has committed any act which constitutes an offence under sub-section (1) of section 3; or

(b) is in possession of any material of crime involved in an offence under sub-section (1) of section-3; or

(c) is in possession of any records relating to an office under sub-section (1) of section-3; or

(d) is in possession of any property relating to an office under sub-section (1) of section 3; such Competent Authority may, subject to the rules made in this behalf, authorize any officers---

(i) to enter, with such assistance as may be required, and search any building, place, vessel, vehicle or aircraft where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept;

(ii) to break /open the lock of any door, box, locker, safe, almirah etc;

(iii) where such officer has reason to believe that any property found in such search is likely to be concealed, transferred or dealt with any manner which will result in disposal of such property, he may make order for seizure of such record or property;

(iv) to place marks of identification on such records or make or cause to be made extracts or copies there from;

(v) to prepare a statement or an inventory of such records or property;

(vi) to examine on oath any person who is found to be in possession or control of any record or property, in respect of all or any of the matters relevant for the purpose of any investigation under the Act.

(2) Where it is not practicable to seize such record or property of any financial establishment or the promoter, partner, director, manager, member, employee or any other person responsible for the management of, or for conducting the business or affairs of such financial establishment, the officer authorized under sub-section (1), shall report the same to the Competent Authority who may, in such manner as may be prescribed, make an order to freeze/attach such property whereupon the property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of the order shall be served on the person concerned.

(3) Where the Competent Authority has made an order under sub-section (1) or sub-section (2), it shall, within thirty days from the date of the publication of an order under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, make an application supported by an affidavit stating the grounds on which such Competent Authority has issued the said order under that sub-section, to the Designated Court and the Designated Court shall, after giving an opportunity of being heard to the person concerned, make an order of confiscating such seized or freezed property of the financial establishment or the property of every person including the promoter, partner, director, manager, member, employee or any other person responsible for the management of, or for conducting the business or affairs of such financial establishment in the same manner as mentioned in section 4.

(4) Where an order of confiscation of seized or freezed property of the financial establishment or the property of every person including the promoter, partner, director, manager, member, employee or any other person responsible for the management of, or for conducting the business or affairs of such financial establishment has been made under sub-section (3), all right and title in such property shall vest to the Competent Authority free from all encumbrances.

(5) The Competent Authority may, in writing, appoint as many officers as it thinks fit, to perform the functions as an Administrator.

(6) The Administrator appointed under sub-section (5), shall receive and manage the property in such manner, and subject to such conditions, as may be prescribed.

(7) The Administrator shall, in such manner as may be prescribed, take such measures to dispose of the property which is vested in the Competent Authority appointed by the State Government, to protect the interest of the depositors."

6. Amendment in section 5 of the Bihar Act, 18 of 2002 - sub-section (1) and (2) of section 5 of the said Act shall be substituted by the following :-

"(1) The Competent Authority shall exercise control over the money and the properties attached, by the Government order under section 4 of a Financial Establishment.

(2) The Competent Authority shall take such necessary actions as are necessary or expedient for taking physical possession of all the moneys and assets of the concerned financial establishment expeditiously and the Competent Authority shall have all the power which are necessary for the aforesaid purpose."

7. Amendment in section 6 of the Bihar Act, 18 of 2002 - sub-section (1) of section 6 of the said Act shall be substituted by the following :-

"(1) The Competent Authority shall assess to deposit liabilities and the assets of the financial establishment and submit the statement thereof to the Designated Court, within 30 days of the order under section 4(1)."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 662-571+400-डीटी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 303) पटना, वृहस्पतिवार, 20 अप्रील 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

20 अप्रील 2017

सं० एल0जी0-01-01/2017/49/लेज: 1—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 7, 2017]

बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, 2017

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 1- (1) यह अधिनियम बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन 1- उक्त अधिनियम, 2002 की धारा-3 की उप-धारा (2) का परंतुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“परंतु अपनी अधिकारिता के अधीन पुलिस उपाधीक्षक या उसके समकक्ष के पदाधिकारियों के साथ-साथ पुलिस निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी भी इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी किसी ऐसी अपराध का अनुसंधान कर सकेगा अथवा उसके लिए, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगा।”

3. बिहार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन 1- उक्त अधिनियम 2002 की धारा-3ख के बाद निम्नलिखित नई धारा-3ग अन्तःस्थापित की जायेगी :-

“3ग-अपराध का शमन करना 1- (1) अभिहित न्यायालय की अनुमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात् धारा-3 के अधीन किसी दंडनीय अपराध का शमन जमाकर्ताओं को जमा की गई सम्पूर्ण राशि तथा उस राशि पर प्रति माह 1% ब्याज की दर से या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित तत्समय प्रवृत्त ब्याज पर दोनों में से जो अधिक हो, देय होगा।

(2) जहाँ किसी अपराध का शमन उप-धारा (1) के अधीन किया जाता हो तो इस प्रकार किए गए किसी अपराध के शमन की बाबत अपराधी के विरुद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही अथवा आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगी और यदि अपराधी अभिरक्षा में हो, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा।”

4. बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन 1- उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (2) के खंड (च) के बाद निम्नलिखित खंड (छ) जोड़ा जायेगा :-

“(छ)- कुर्क संपत्ति के विक्रय से वसूला गया धन यदि कमी को पूरा करने में पर्याप्त न हो तो अभिहित न्यायालय, हरेक व्यक्ति जिसमें संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक शामिल हो अथवा ऐसे वित्तीय प्रतिष्ठान अथवा कारोबार के प्रबंधन अथवा संचालन के लिए जवाबदेह किसी अन्य व्यक्ति अथवा कर्मचारी पर

जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय करने के प्रयोजनार्थ कमी को पूरा करने के लिए यथावश्यक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

20 अप्रैल 2017

सं० एल०जी०-०१-०१/२०१७/५०/लेज: १—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक १२ अप्रैल २०१७ को अनुमत **बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, २०१७** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 7, 2017]

**The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments)
(Amendment) Act, 2017**

AN

ACT

To Amend The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments) Act, 2002 [Bihar Act, 18 of 2002]

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows .-

1. Short title, extent and commencement .- (1) This Act may be called The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in section-3 of Bihar Act, 18 of 2002 .- Proviso of sub-section (2) of section-3 of the said Act, 2002 shall be substituted by the following:-

"Provided that Deputy Superintendent of Police or equivalent officer along with Police Inspector not below the rank of an Inspector of Police may also investigate any such offence under his jurisdiction without the order of Metropolitan Magistrate or a Magistrate of first class, as the case may be, or may arrest therefor without warrant."

3. Insertion of new section-3C in the Bihar Act, 18 of 2002.-The following new section-3C shall be inserted after section-3B of the said Act 2002 :-

"3C Compounding of offence .- (1) An offence punishable under section-3 may, after the institution of the prosecution by the Competent Authority with the permission of the Designated Court on payment of the entire amount due to the depositors with interest at the rate of 1% per month or at the rate of interest notified by Reserve Bank of India for the time being in force, whichever is higher.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceeding shall continue against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith."

4. Amendment in section-9 of the Bihar Act, 18 of 2002 .- The following new clause (g) shall be added after clause (f) of sub section (2) of section-9 of the said Act:-

"(g) In case the money realized from sale of property attached is not enough to cover the shortfall, the Designated Court may impose fine on every person, including the promoter, partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of or conducting of the business of the affairs of such Financial Establishment to cover the shortfall as may be necessary for the purpose of repayment to the depositors."

By order of the Governor of Bihar,
SURENDRA PRASAD SHARMA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, ँटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 303-571+400-डीटीपी।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>